न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 328/2023 दायर दिनांक :– 08.10.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

रणवीर सिंह चौधरी पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी घाड दरवाजा दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. हेमराज पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी हनुमानपुरा पोस्ट चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गिरिराज पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी हनुमानपुरा पोस्ट चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण –

– उपस्थिति –

श्री रमेश चन्द शर्मा
श्री अनिल कुमार भूरेठा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 5 खसरा नम्बर 28 रकबा 0.37 है0, वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टॉक में स्थित है। प्रार्थी ग्राम दूनी का निवासी है और जमीन ग्राम हनुमानपुरा में स्थित है तथा अप्रार्थीगण ग्राम हनुमानपुरा के निवासी है तथा प्रार्थी की भूमि के आस पास अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का खसरा नम्बर 28 रकबा 0.37 है0 की भूमि में प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग मे मजामहत करते है तथा जबकि इस भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है तथा खेत के पडोसी होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी नम्बर 1 ता 2 प्रार्थी की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर अमादा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 प्रार्थी को इस भूमि से बेदखल कर दर दर भटकने के लिये मजबूर करने पर अमादा है, जिसके लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे स्वय जरिये एजेन्ट नोकर चाकर या पारिवारिक सदस्यो के द्वारा प्रार्थी को उसकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 5 खसरा नम्बर 28 रकबा 0.

8/10/2024

27 है0, वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक से बेदखल नही करे, कब्जा नही करे व किसी भी प्रकार से प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजामहत नही करे तथा प्रार्थी के खातेदारी के खेत पर लगे ढोल मे बबूल पत्थर आदि डालकर कब्जा नही करे।अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण 1 ता 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 2 में वर्णित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत या स्थानान्तरण नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजामहत नही करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने अपनी ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप शर्मा ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है :– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस तरह अंकित किया गया है गालत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस तरह अंकित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है क्योंकि प्रार्थी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं उसके वारिसान का कोई कब्जा नहीं है और ना ही विवादित भूमि का प्रार्थी ने आज तक भी उपयोग उपभोग किया है। प्रतिपक्षीगण को हेरान परेशान करने की नियत से नाजायज रूप से दबाव बनाकर इस प्रार्थना पत्र की आड़ में प्रार्थी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रतिपक्षीगण को बेदखल करना चाहता है। उक्त भूमि पर प्रतिपक्षीगण का करीब 50 वर्षों से लगातार कब्जा कास्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। प्रतिपक्षीगण के पिता पांचूलाल ने उक्त भूमि सम्वत 2028 में अलाद्दीन पुत्र अल्लारखा जाति मुसलमान निवासी दूंनी जिनको हाथीवाला के नाम से जाना जाता है, से मुबलिग रूपये 3,000/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तभी से विवादित भूमि पर पांचूलाल तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रतिपक्षीय का लगातार कब्जा कास्त निर्वाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह अंकित किया गया है गलत है. स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का उक्त भूमि में किसी प्रकार का अधिकार व कब्जा नहीं है। विवादित भूमि पर जब प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है तो प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने का प्रश्न ही पेदा नहीं होता है। प्रार्थी कब्जे के अभाव में प्रतिपक्षीगण को पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। **विशेष आपत्तियां** :–वास्तविकता यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रतिपक्षीगण के पिता पांचूलाल ने सम्वत 2020 में अलादीन पुत्र अल्लारखा जाति मुसलमान निवासी दूनी जिनको हाथीवाला के नाम से जाना जाता है. से मुबलिग रूपये 3,000/– रूपये मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से विवादित भूमि पर पांचूलाल तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रतिपक्षीगण का लगातार कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 183/2021 प्रस्तुत किया था जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2022 को कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया गया था। तहसीलदार जी एवं हल्का पटवारी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा माना है तथा प्रार्थी द्वारा खरीद की दिनांक से पूर्व ही विवादित भूमि पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा था। मोके पर कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा

8/10/2024

नहीं है. कब्जे के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी आराजीयात नहीं है और ना ही प्रार्थी ग्राम हनुमानपुरा का निवासी है। प्रार्थी ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि को शहजाद खान पुत्र अब्दुल हकीम निवासी घाटगेट जयपुर से कय कर विक्रय पत्र पंजीयन कराया है जिसका उक्त विवादित भूमि से कोई संबंध ही नहीं था। प्रतिपक्षीगण के पिता ने प्रार्थी व अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध उक्त फर्जी तरीके से किये गये विकय पत्र का मुकदमा दर्ज करवाया था जो विचाराधीन है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है, विवादित आराजी से प्रार्थीगण को कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल पड़ोसी होने के नाते प्रार्थी की विवादित आराजी को हड़पना चाहता है, प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। इस नियत से विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण पक्का निर्माण करने पर तुले हुए है। अतः प्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निंषेधाज्ञा को स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का प्रार्थीगण से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही कब्जाकाश्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर दबाव बनाने की नियत से इस न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी पर पिछले 50 वर्ष से काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण के पिता पांचूलाल द्वारा उक्त भूमि सम्वत 2028 में अलादीन पुत्र अल्लारखा से 3000/—मे कय की थी जब से ही कब्जा अप्रार्थीगण का चला आ रहा है। कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं करवा सकते है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी पत्थरगढी आदेश दिनांक 07.04.2022 से तहसीलदार ने उक्त विवादित आराजी पर कब्जा अप्रार्थीगण का माना है। प्रार्थी ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि शहजाद खान पुत्र हकीम निवासी घाटगेज जयपुर से कय कर पंजीयन करवाया था, जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज मय हर्जा खर्चा फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में कथन किया कि इस समय प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, जो अपनी आराजी पर कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करने अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओ पर निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

8/10/2024

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम हनुमानपुरा तहसील दूनी के ख. नं. 28 रकबा 0.37 है0 का प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। गिरदावरी सम्वत 2079 ग्राम हनुमानपुरा तहसील दूनी के ख. नं. 28 रकबा 0.37 है0 में प्रार्थी ने सरसो की फसल काश्त दर्शित है। पत्रावली पर संलग्न एफ.आई.आर नम्बर 64/2020 व एफ. आर. नंबर 140/2023 ने धारा 420, 406, 467, 468, 120 के अन्तर्गत परिवादी पांचू लाल ने थाना दूनी में परिवाद पेश किया, जिसमें जांच बाद यह पाया गया कि अलादीन व अब्दूल रजाक के पिता का नाम अल्लारखां निवासी राजमहल बाद में दूनी में निवास करना पाया गया। परिवादी द्वारा समस्त आरोप झूठे पाये गये। परिवादी ने अलादीन पुत्र अल्लारखां जाति मुसलमान से करीब 50 साल पूर्व एक सादा कागज पर कय कर कब्जाकाश्त करना पाया गया परन्तु उक्त जमीन की रजिस्ट्री परिवादी के नाम नहीं हो पायी। यदि समय पर परिवादी पक्ष के रजिस्ट्री करवा दी जाती तो परिवादी पक्ष द्वारा विक्रेता के विरूद्ध यह प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करवाया जाता। प्रकरण में कोई अपराध कारित होना नहीं पाया जाकर मामला लेनदेन का पाया जाता है।

उक्तानुसार विवेचन करने पर प्रथमरूप से यह बिन्दू सामने आता है कि प्रथम बिन्दू विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा है या नहीं । मुख्य विवेचन यह है कि विवादित आराजी भूमि का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी रिपोर्ट 07.04.2022 के अनुसार विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा होना नहीं बताया गया है। खरीद को लेकर एफ. आर. नंबर 140/2023 में परिवादी पांचू द्वारा लगाये गये आरोप झूठे पाये गये है। कब्जे व कय के सम्बन्ध में सम्बन्ध में सभी तथ्य वाद में तय होने है। स्थायी निषेधाज्ञा के वाद के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया मामला में खातेदारी के साथ कब्जे का होना आवश्यक शर्त होता है। चूकि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है परन्तु प्रार्थी का कब्जा साबित नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दू यह भी है कि प्रार्थी ने नाममात्र को भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे कि अप्रार्थीगण ने उसके कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया हो अथवा उसके सम्बन्ध में कोई धमकी दी हो । अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट तौर पर जाहिर हो चुका है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी तो है परन्तु प्रार्थी का कब्जा साबित नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि वर्तमान में विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण काबिजकाश्त है और उनके कब्जे में होने से अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को काश्त किया जा रहा है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति केवल प्रार्थीगण को ही होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

8/10/2024

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी मौके की यथास्थिति बाबत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

आदेश

अतः उक्त बिन्दूवार विवेचन से प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा साबित नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 08.10.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

स्थायी निषेधाज्ञा के वाद के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया मामला महत्वपूर्ण होता है। चूकि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है । अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट तौर पर जाहिर हो चुका है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है । अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि वर्तमान में विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण काबिजकाश्त है और उनके कब्जे में होने से अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द अथवा निर्माण आदि कार्य अप्रार्थीगण द्वारा मूलवाद के निस्तारण से पूर्व किया जाता है तो अपूरणीय क्षति केवल प्रार्थी को ही होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी मौके की यथास्थिति बाबत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 02.05.24 को कन्फर्म (सुनिश्चित) किया जाता है और अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खं. नं. 28 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम हनुमानपुरा तहसील दूनी पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे व मौके की यथास्थिति ताफैसला मूलवाद तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 08.10.2024 को सुनाया गया।

8/10/2024

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner